



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1600]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2014/श्रावण 21, 1936

No. 1600]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2014/SHRAVANA 21, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

**का.आ. 2045(अ).**—यतः मै. फ्लेक्सट्रानिक्स टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जो तमिलनाडु राज्य में तालुक श्रीपेरम्बुदूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्थित सांडावेल्लूर 'सी' ग्राम में एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा संबंधित सेवा क्षेत्र हेतु एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 25 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 596(अ), में 101.21 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. फ्लेक्सट्रानिक्स टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 25.07 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 21 मार्च, 2013 को अनुमोदित कर दिया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 2 जून, 2014 के पत्र (डी) सं. 71 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 25.07 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 25.07 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 76.14 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं अर्थात्:—

## तालिका

क्र.स.	सर्वेक्षण संख्या	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिमाणी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	353	3.43	3.43	0.00
2.	365	6.91	0.95	5.96
3.	366	5.38	3.81	1.57
4.	367	0.17	0.17	0.00
5.	368	1.12	1.12	0.00
6.	369	5.89	5.06	0.83
7.	370	7.17	0.78	6.39
8.	371	5.21	4.28	0.93
9.	372	3.28	2.69	0.59
10.	373	3.78	1.04	2.74
11.	374	3.62	0.00	3.62
12.	382	4.65	0.00	4.65
13.	383	3.83	0.00	3.83
14.	384	0.73	0.00	0.73
15.	385	5.41	0.00	5.41
16.	386	2.25	0.00	2.25
17.	387	1.62	0.00	1.62
18.	388	3.62	0.00	3.62
19.	389	4.81	0.00	4.81
20.	390	2.59	0.00	2.59
21.	391	4.59	1.41	3.18
22.	392	1.63	0.34	1.29
23.	393	4.01	0.00	4.01
24.	398	0.30	0.00	0.30
25.	399	0.70	0.00	0.70
26.	400	1.07	0.00	1.07
27.	401	2.98	0.00	2.98
28.	402	3.03	0.00	3.03
29.	405 (भाग)	2.94	0.00	2.94
30.	407 (भाग)	2.11	0.00	2.11
31.	408 (भाग)	1.74	0.00	1.74
32.	409	0.62	0.00	0.62
	<b>कुल</b>	<b>101.21</b>	<b>25.07</b>	<b>76.14</b>

[फा. सं. एफ.2/122/2005-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2014

**S.O. 2045(E).**—Whereas, M/s. Flextronics Technologies (India) Private Limited, a private organization in the State of Tamil Nadu, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronics Hardware and related Services at Sandavellur ‘C’ Village in Taluk Sriperumbudur, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 101.21 hectares, at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 596(E), dated 25th April, 2006;

And, whereas, M/s. Flextronics Technologies (India) Private Limited has now proposed to de-notify an area of 25.07 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 21st March, 2013;

And, whereas, the State Government of Tamil Nadu has given its “No Objection” to the proposal vide letter (D) No. 71 dated 2nd June, 2014;

And whereas, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 25.07 hectares of the Special Economic Zone;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 25.07 hectares, thereby making resultant area as 76.14 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

**TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Survey No.</b>	<b>Notified Area (in hectare)</b>	<b>Area being de-notified (in hectare)</b>	<b>Resultant Area (in hectare)</b>
1.	353	3.43	3.43	0.00
2.	365	6.91	0.95	5.96
3.	366	5.38	3.81	1.57
4.	367	0.17	0.17	0.00
5.	368	1.12	1.12	0.00
6.	369	5.89	5.06	0.83
7.	370	7.17	0.78	6.39
8.	371	5.21	4.28	0.93
9.	372	3.28	2.69	0.59
10.	373	3.78	1.04	2.74
11.	374	3.62	0.00	3.62
12.	382	4.65	0.00	4.65
13.	383	3.83	0.00	3.83
14.	384	0.73	0.00	0.73

15.	385	5.41	0.00	5.41
16.	386	2.25	0.00	2.25
17.	387	1.62	0.00	1.62
18.	388	3.62	0.00	3.62
19.	389	4.81	0.00	4.81
20.	390	2.59	0.00	2.59
21.	391	4.59	1.41	3.18
22.	392	1.63	0.34	1.29
23.	393	4.01	0.00	4.01
24.	398	0.30	0.00	0.30
25.	399	0.70	0.00	0.70
26.	400	1.07	0.00	1.07
27.	401	2.98	0.00	2.98
28.	402	3.03	0.00	3.03
29.	405 (Part)	2.94	0.00	2.94
30.	407 (Part)	2.11	0.00	2.11
31.	408 (Part)	1.74	0.00	1.74
32.	409	0.62	0.00	0.62
	<b>Total</b>	<b>101.21</b>	<b>25.07</b>	<b>76.14</b>

[F. No. F.2/122/2005-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.